INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	**IN-UK67182616814111S**
Certificate Issued Date	:	14-Mar-2020 01:10 PM
Account Reference	:	NONACC (SV)/ uk1206104/ HARIDWAR/ UK-HD
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UKUK120610437112192245153S
Purchased by	:	RADHEY LAL CHAMOLI SON OF MURLI DHAR
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	-
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	RADHEY LAL CHAMOLI SON OF MURLI DHAR
Second Party	:	NA
Stamp Duty Paid By	:	RADHEY LAL CHAMOLI SON OF MURLI DHAR
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	10 (Ten only)

SHARVAN K[illegible] AGARWAL
St[illegible] Vendor
Haridwar Lic. No -22

NOTARY
NOTARIAL
GOVT. OF INDIA

----------Please write or type below this line----------

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

शपथ पत्र

समक्षः– जिला पर्यटन विकास अधिकारी/संयोजक जिला पंजीकरण एवं वर्गीकरण समिति
''अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास (होम स्टे) योजना'' हरिद्वार।
मैं राधी लाल चमोली पुत्र/पत्नी श्री मुरलीधर चमोली
निवासी अमृत भवन सन्यास रोड कनखल हरिद्वार। जिला हरिद्वार शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान करता हूँ –

1– यह कि मेरा नाम व पता सब सच व सही है तथा उपरोक्त पते पर स्थायी रूप से सपरिवार निवास करता हूं।

2– यह कि मैं सपरिवार जिस भवन में निवास करता हूँ, उस पर मेरा/मेरे परिवार का निर्विवाद रूप से स्वामित्व एवं पूर्णरूप से कब्जा है, जिसमें अपने निवास के अतिरिक्त अवस्थित ....6.... **कक्षों** को यात्रियों/पर्यटकों को आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास (होम स्टे) योजना के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा हूं।

3– यह कि उक्त योजना के अन्तर्गत आवेदन पत्र के साथ भवन के निर्विवाद रूप से स्वामित्व की पुष्टि हेतु कब्जा प्रमाण पत्र/बिजली के बिल की छायाप्रतियां संलग्न है। भवन स्वामित्व से सम्बन्धित कोई भी विवाद न्यायालय आदि में विचाराधीन नहीं है।

4– यह कि प्रस्तावित भूमि के निर्विवाद स्वामी होने की पुष्टि हेतु आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत/संलग्न दस्तावेज पूर्णतया वैध एवं सही हैं आवश्यकता पड़ने पर उक्त भवन के निर्विवाद स्वामित्व को सिद्ध करने का पूर्ण दायित्व मेरा होगा। स्वामित्व सम्बन्धी किसी भी विवाद के लिये शपथकर्त्ता/आवेदनकर्ता स्वयं उत्तरदायी होगा।

5– यह कि होम स्टे योजना के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु प्रस्तावित उक्त भवन के स्वामित्व से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न होने अथवा आवश्यकता पड़ने पर यदि मैं उक्त भवन पर अपना/मेरे परिवार का स्वामित्व सिद्ध करने में असफल रहता हूँ तो ऐसी दशा में जिला स्तरीय पंजीकरण समिति/पर्यटन विभाग को मेरा आवेदन पत्र एवं पंजीकरण होने की दशा में पंजीकरण निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। समिति/पर्यटन विभाग के निर्णय के खिलाफ मुझे कोई भी कानूनी अथवा किसी अन्य प्रकार की कार्यवाही करने का अधिकार नहीं होगा।

6– यह कि शपथकर्ता द्वारा उक्त भवन में मानकों के अनुरूप अग्निरोधक यंत्र संयोजित करवा लिये गये हैं, जिसकी पुष्टि हेतु अग्निरोधक यंत्रों (यथा सिलेण्डर आदि) के क्रय रसीदें आवेदन पत्र के साथ संलग्न है।

7– यह कि उक्त भवन के निर्माण/मानचित्र स्वीकृति/रोड साइड कन्ट्रोल एक्ट आदि के आधार पर यदि सक्षम प्राधिकारी/हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण/राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/अन्य सम्बन्धित विभागों द्वारा कोई प्रतिकूल निर्णय/कार्यवाही की जाती है तो जिला स्तरीय पंजीकरण समिति/पर्यटन विभाग को मेरा आवेदन पत्र एवं पंजीकरण होने की दशा में पंजीकरण निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

8– यह कि शपथकर्त्ता द्वारा उक्त योजना के संचालन से सम्बन्धित सभी सम्बन्धित विभागों/सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9– यह कि शपथकर्त्ता द्वारा उक्त योजना से सृजित आस्ति/प्रतिष्ठान के क्रियान्वयन/संचालन में पर्यावरण की सुरक्षा/स्वच्छता, प्रदूषण नियन्त्रण एवं जल संचय/जल संरक्षण–संवर्धन का विशेष ध्यान रखा जायेगा तथा पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण से सम्बन्धित राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एन0जी0टी0) एवं अन्य सम्बन्धित विभागों/प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर जारी सभी निर्देशों का पालन किया जायेगा।

10– यह कि शपथकर्ता द्वारा उक्त योजना के संचालन के सम्बन्ध में योजनान्तर्गत प्राविधानित सभी विद्यमान एवं समय–समय पर जारी होने वाली शर्तें व नियमों का पूर्ण रूप से पालन किया जायेगा।

11– यह कि होम स्टे योजना के अन्तर्गत पंजीकृत किये गये भवन में ठहरने वाले देशी/विदेशी पर्यटकों का विवरण सम्बन्धित अनुरक्षित पंजिका में किया जायेगा तथा विदेशी पर्यटको के ठहरने की दशा में उनके पासपोर्ट/वीजा इत्यादि का विवरण फार्म सी0 में भरकर सम्बन्धित विभाग यथा स्थानीय अभिसूचना इकाई/पर्यटन विभाग को ससमय उपलब्ध करवाया जायेगा। यात्रियों/पर्यटकों का विवरण दर्ज करने हेतु अनुरक्षित पंजिका को समय–समय पर पर्यटन विभाग को अवलोकित कराया जायेगा।

12– यह कि उक्त भवन में किसी भी प्रकार की वाणिज्यिक गतिविधियों (यथा यात्रा पैकेज, ट्रैवल एजेन्सी, हस्तशिल्प विक्रय केन्द्र) का संचालन नहीं किया जायेगा एवं योजनान्तर्गत पंजीकृत किये गये कक्षों के अतिरिक्त अन्य कक्षों को किराये पर नहीं दिया जायेगा और होटल की भांति उक्त आवास में स्वागत पटल भी नहीं लगाया जायेगा।

यह कि पैरा नं0 1 से 12 तक मेरे संज्ञान में सच व सही है कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है यदि इसमे कोई भी तथ्य झूठा पाया जाये तो उसकी जिम्मेदारी मुझ शपथकर्ता की होगी तथा उपरोक्त बिन्दुओं में किसी भी तथ्य के झूठा पाये जाने के आधार पर यदि किसी भी विभाग/प्राधिकरण/एन0जी0टी0 अथवा न्यायालय/न्याय पालिका द्वारा उक्त योजना से सम्बन्धित किसी भी स्तर पर मेरे विरुद्ध कोई जांच अथवा कार्यवाही/कानूनी कार्यवाही की जाती है तो जिला स्तरीय पंजीकरण समिति/पर्यटन विभाग को मेरा आवेदन पत्र निरस्त करने एवं पंजीकरण होने की दशा में पंजीकरण निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

आज दिनांक– 14.03.22 को मैं शपथकर्ता उपरोक्त लिखी गई शपथ पत्र की समूची इबारत का सही व सत्य होना कबूल करता हूँ।

ATTESTED

ASHUTOSH SOTI
NOTARY HARIDWAR

हस्ताक्षर शपथकर्ता